



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102025-267213
CG-DL-E-28102025-267213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4697]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947

No. 4697]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4841(अ).— गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8के साथ पठित धारा 7द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 85(अ), दिनांक 5फरवरी, 1997 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

2. उक्त अधिसूचना में, शीर्षक "धारा 7की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त" के अंतर्गत, क्रम संख्या 19, 21 और 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

19	डॉ. एल.आर. पाठक, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड	सदस्य
21	श्री सुमंत सिंह, आयुक्त सह सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) मणिपुर सरकार, मणिपुर	सदस्य
22	डॉ. संदीप सांगले, अतिरिक्त निदेशक, राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, पुणे (राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी - महाराष्ट्र) महाराष्ट्र	सदस्य

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

[फा. सं. वी.11011/03/2023-पीएनडीटी]

मीरा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का. आ. 85(अ) दिनांक 5 फरवरी, 1997 के तहत प्रकाशित की गई थी और संख्या का. आ 160(अ) दिनांक 28 फरवरी, 1998 के तहत संशोधित की गई और संख्या का. आ 694(अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998, का. आ 61(अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; एसओ 114(ई) दिनांक 1 फरवरी, 2000; का. आ 349(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; का. आ 931(अ) दिनांक 19 सितंबर, 2001; का. आ 590(अ) दिनांक 31 मई, 2002; का. आ 1191 (अ) दिनांक 12 नवंबर, 2002; का. आ 703 (अ) दिनांक 18 जून, 2003 के तहत आगे संशोधित की गई; का. आ 1458(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003; का. आ 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004; का. आ 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004; का. आ 937(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2004; का. आ 1008(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004; का. आ 56(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2006; का. आ 199(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ 200(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ 1854(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006; का. आ 1506(अ) दिनांक 20 जून, 2008; का. आ 130(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2009; का. आ 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009; का. आ 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011; का. आ 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012; का. आ 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012; का. आ 2613(अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012; का. आ 2825(अ) दिनांक 22 नवंबर, 2012; का. आ 43(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2012; का. आ 1351(अ) दिनांक 21 मई, 2013; का. आ 306(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014; का. आ 2520(अ) दिनांक 26 सितंबर, 2014; का. आ 2587(अ) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014; का. आ 1459(अ) दिनांक 1 जून, 2015; का. आ 2458(अ) दिनांक 4 सितम्बर, 2015; का. आ 3097(अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2015; का. आ 4111(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2016; का. आ 132(अ) दिनांक 10 जनवरी, 2018; का. आ 275(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का. आ 276(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का. आ 1794(अ) दिनांक 2 मई 2018; का. आ 143(अ) दिनांक 9 जनवरी 2019; का. आ 1934(अ) दिनांक 10 जून 2019; तथा का. आ 2779(अ) दिनांक 2 अगस्त 2019; का. आ 3558(अ) दिनांक 1 अक्टूबर 2019; का. आ 3636 (अ) दिनांक 10 अक्टूबर 2019, का. आ 4123(अ) दिनांक 17 नवंबर 2020 और का. आ 4354(अ) दिनांक 14 सितंबर 2022 का. आ 2937(अ) दिनांक 15 जुलाई 2024

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2025

S.O. 4841(E).— In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85(E), dated 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification, under the heading “Appointed under clause (g) of sub-section (2) of section 7”, for serial numbers 19, 21 and 22 and the entries relating thereto the following shall be substituted , namely: -

19	Dr. L.R. Pathak, Deputy Director, Health Services, Jharkhand	Member
21	Shri Sumant Singh, Commissioner cum Secretary (Health & Family Welfare) Government of Manipur, Manipur	Member
22	Dr. Sandeep Sangale, Additional Director, State Family Welfare Bureau, Pune (State Appropriate Authority, PCPNDT -Maharashtra) Maharashtra	Member

Term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. V.11011/03/2023-PNDT]

MEERA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, videno. S.O .85 (E), dated 5thFebruary, 1997 and amended videNo. S.O.160 (E) dated 28thFebruary, 1998 and further amended videNos. S.O. 694(E) dated 13thAugust, 1998, S.O. 61(E) dated 14thJanuary, 2000; S.O.114(E) dated 1stFebruary, 2000; S.O. 349(E) dated 20thApril, 2001; S.O. 931(E) dated 19thSeptember, 2001; S.O.590(E) dated 31stMay, 2002; S.O. 1191 (E) dated 12thNovember, 2002; S.O. 703(E) dated 18thJune, 2003; S.O. 1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O. 99(E) dated 20thJanuary, 2004; S.O. 367(E) dated 17thMarch, 2004; S.O. 937(E) dated 19th August, 2004; S.O.1008(E) dated 16th September, 2004; S.O. 56(E) dated 19th January, 2006; S.O.199(E) dated 10th February, 2006; S.O. 200(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th October, 2006; S.O. 1506(E) dated 20th June, 2008; S.O. 130(E) dated 6th January, 2009; S.O. 2143(E) dated 20th August, 2009; S.O. 779(E) dated 28th April, 2011; S.O. 85(E) dated 11th January, 2012; S.O. 1272(E) dated 25th May, 2012; S.O. 2613(E) dated 25th October, 2012; S.O. 2825(E) dated 22nd November, 2012; S.O. 43(E) dated 31st December, 2012 ; S.O. 1351(E) dated 21st May, 2013; S.O. 306(E) dated 31st January, 2014; S.O. 2520(E) dated 26th September, 2014; S.O. 2587(E) dated 2nd October, 2014; S.O. 1459(E) dated 1st June, 2015; S.O. 2458 (E) dated 4th September, 2015; S.O. 3097(E) dated 9th November, 2015; S.O. 4111(E) dated 22nd December, 2016; S.O. 132(E) dated 10th January, 2018; S.O. 275(E) dated 17th January, 2018; S.O. 276(E) dated 17th January, 2018; S.O. 1794(E) dated 2nd May 2018; S.O. 143(E) dated 9th January 2019; S.O. 1934(E) dated 10th June 2019; and S.O. 2779(E) dated 2nd August 2019; S.O. 3558(E) dated 1st October 2019; S.O. 3636 (E) dated 10th October 2019, S.O. 4123(E) dated 17th November 2020 and S.O. 4354(E) dated 14th September 2022. S.O. 2937(E) dated 15th July, 2024.